तीन रेजीडेंट चिकित्सक निलम्बित, अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस

कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव होने का मामला

जयपुर। राजधानी के कावंटिया अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तीन रेजीडेंट चिकित्सकों डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत और डॉ. मनोज को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने प्रकरण में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

- **जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया रेजीडेंट डॉक्टर डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज की गंभीर लापरवाही एवं संवेदनहीनता सामने आई है।**

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रकरण सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया रेजीडेंट डॉक्टर डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज की गंभीर लापरवाही एवं संवेदनहीनता सामने आई है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अनुशासनात्मक समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इन तीनों रेजीडेंट चिकित्सकों को निलम्बित किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सिंह ने कहा कि बुधवार को जयपुर के कांवटिया अस्पताल में एक महिला का अस्पताल के गेट पर प्रसव होने का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीयता से जुड़े चिकित्सकीय पेशे में ऐसे असंवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को जनाना अस्पताल रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से रेफर नहीं किए जाने के कारण भ्रामक स्थिति पैदा हुई और महिला अस्पताल से बाहर आ गई तथा उसका खुले में प्रसव हो गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मानवीय एवं जनसेवा से जुड़े इस पेशे से संबंधित सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य कार्मिकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना एवं जीवन रक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि असंवेदनशील व्यवहार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी ऐसा मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव प्रकरण संज्ञान में आते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से मौके पर भेजा था। साथ ही अगले दिन ही विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी थी।

गौरतलब है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया। उसे जनाना हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में खड़ी एंबुलेंस से मदद मांगी तो ड्राइवर ने जाने से इनकार कर दिया। कोई हॉस्पिटल स्टाफ मदद के लिए आगे नहीं आया। इतने में महिला ने हॉस्पिटल गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। मामला बढ़ता देख हॉस्पिटल प्रशासन चेता और महिला को वार्ड में ले गया।

मंत्रालयिक कर्मचारियों का रक्तदान शिविर आज

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जयपुर एवं गंगानगर शुगर मिल्स के संयुक्त तत्वाधान में 5 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर का आयोजन वित्त(राजस्व) विभाग के शासन सचिव के. के. पाठक की अध्यक्षता में प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे वित्त भवन, डी ब्लॉक ज्योति नगर, जयपुर में किया जायेगा।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक सतीश चंद गोयल ने बताया कि शहर के अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता में वृद्धि करने के मानवीय उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संघ के सदस्यों के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी तथा आमजन द्वारा रक्तदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में करीब 500 यूनिट रक्त एकत्रित होने की सम्भावना है। कार्यक्रम कोष एवं लेखा विभाग के निदेशक भूपेश माथुर, निरीक्षण विभाग के निदेशक संजय सोलंकी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निदेशक मेवाराम जाट एवं पेंशन विभाग के निदेशक देवराज के विशिष्ठ आतिथ्य में आयोजित किया जायेगा।

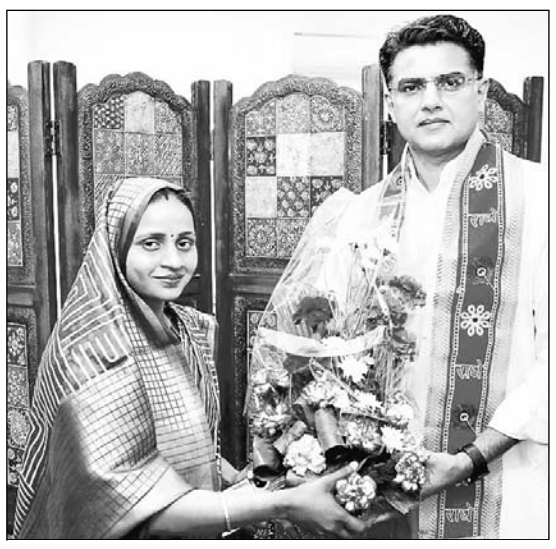

भरतपुर से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी संजना जाटव ने गुरूवार को जयपुर स्थित निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पायलट का गुलदस्ता देकर स्वागत किया।

राहुल गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग

जयपुर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी चेयरमैन एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने राहुल गांधी की ओर से केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भरे गए नामांकन फॉर्म में चुनाव आयोग से तथ्य छिपाने और अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया है। एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने नामांकन फॉर्म 26 के शपथ-पत्र में पैरा संख्या-2 में अनुलग्नक-ए होना लिखा है, जबकि ये अनुलग्नक-ए फॉर्म के साथ नहीं लगाया गया। इसके अलावा नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक- बी में आपराधिक रिकॉर्ड के पैरा संख्या 5 में यह लिखकर बताया कि यह जानकारी एक अलग शीट के रूप में अनुलग्नक-बी में दी गई है। परंतु जब अनुलग्नक-बी की जांच की गई तो इसमें ना ही दिनांक लिखी गई है।

लक्ष्य वालिया की उम्रकैद की सजा निलंबित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर बाद में उसकी हत्या करने के मामले में सह अभियुक्त लक्ष्य वालिया को मिली उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश लक्ष्य वालिया की आपराधिक अपील में पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।

20 हजार रु. का इनामी बदमाश दबोचा

जयपुर । मानसरोवर थाना पुलिस ने 20 हजार रूपए के इनामी बदमाश को मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है।

एस.आई. भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने कहा, "अधिकारी पूछताछ करने से पहले पट्टों से मारते हैं"

गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा

जयपुर। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनिंग एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एसओजी को कहा है कि वह पुलिस अभिरक्षा की अवधि में हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए।

- **अदालत ने एसओजी को कहा है कि वह पुलिस अभिरक्षा की अवधि में हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए।**
- **आरोपियों ने कहा कि उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ही सोने दिया जा रहा है।**

एसओजी की ओर से आरोपी सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एसओजी ने कहा कि कि रुपए के लेनदेन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी को हर आरोपी की डिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए। सभी आरोपियों का मशीन अंदाज में 12 दिन का रिमांड मांगा गया है। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41 ए का नोटिस भी नहीं दिया गया। वहीं अदालत के पूछने पर महिला अभ्यर्थी सहित कुछ अन्य आरोपियों ने एसओजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। आरोपियों की ओर से कहा गया कि अधिकारी पूछताछ से पहले पट्टों से मारपीट करते हैं। इसके अलावा उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ही सोने दिया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एसओजी के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आरोपियों की ओर से कहा कि उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध हिरासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया है। इस पर अदालत ने एसओजी के जांच अधिकारी से पूछा कि जब 24 घंटे में अदालत में पेश करने का प्रावधान है तो फिर उन्हें समय पर पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो हिरासत में रखते हुए महीने भर भी पूछताछ की जा सकती है।

गौरतलब है कि एसओजी की टीम मंगलवार को सुबह करीब 9.30 राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंची थी। यहां तीन घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की थी। इसके बाद 15 ट्रेनी एसआई को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय लाया गया था। इसमें 2 महिला और 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल थे। यहां पूछताछ के बाद बुधवार को 11 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसके अलावा एसओजी ने जोधपुर कमिश्नरेट के सदर बाजार थाने में तैनात कॉन्स्टेबल अभिषेक बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया था। अभिषेक बिश्नोई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुआ था, लेकिन उसने जॉइन नहीं किया था।

हैड कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी

जयपुर । मालवीय नगर थाना इलाके में कार चालक द्वारा पुलिस हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मार वर्दी फाडने का मामला सामने आया है। इस संबंध में हेड कांस्टेबल ने थाने में कार चालक के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

जांच अधिकारी एएसआई गिर्राज प्रसाद ने बताया कि हेड कांस्टेबल दुर्जन सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि 3 अप्रैल की सुबह वह हनुमान तिराहे पर ड्यूटी दे रहा था। इस दौरान अचानक ट्रैफिक लोड बढने पर बत्ती कर ट्रैफिक मैनुअली चलाने लगा। इस दौरान एक कार जगतपुरा से अपेक्स सर्किल की तरफ जा रही थी। चालक को रोकना चाहा तो वाहन को आगे लेकर चला गया। इसके बाद हेड कांस्टेबल पीछे वाले वाहन को रोककर अपेक्स सर्किल वाला ट्रैफिक चलाने लगा। उसी दौरान कार चालक पीछे से आकर थप्पड़ मार उसकी वर्दी भी फाड़ दी। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी नरेश ने चालक प्रकाश को रोककर गाड़ी साइड में दबाने को कहा।

पत्नी से अवैध संबंध के शक में भाई पर कुल्हाडी से हमला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । विश्वकर्मा इलाके में एक युवक ने रिश्ते में लगने वाले भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को कांवटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि आरोपित ने पत्नी से अवैध संबंध के शक पर पीडित युवक से झगड़ा कर सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर लहूलुहान किया है। पुलिस घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पडताल में जुटी है।

- **घायल युवक का कांवटिया अस्पताल में उपचार जारी**

पुलिस ने बताया कि औरंगाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी इक्कीस वर्षीय युवक विश्वकर्मा शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है कि वह रोड नंबर-17 पर किराए पर रहकर फैक्ट्री में काम करता है। घायल व्यक्ति फैक्ट्री से काम कर घर लौटा था। घर में घुसने के दौरान ही आरोपित रिश्तेदार भाई अजय ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। बचाव करने पर चेहरे के बाएं हिस्से पर कुल्हाडी से चोट लगने पर खून निकलने लगा। लोगों को इकट्ठा होते देखकर हमलावर रिश्तेदार फरार हो गया।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से लहूलुहान हालत में उसे कांवटिया अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के दौरान पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपित रिश्तेदार भाई अजय के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि आरोपित रिश्तेदार उससे रंजिश रखता है।

उसे शक है कि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

देवनानी से कुलपति की मुलाकात

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधानसभा में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अंबरीश शरण विद्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की। वही देवनानी से गुरूवार को यहां विधानसभा में इंडियन ओवर सिज बैंक के सीनियर रिजनल मैनेजर अमित अनु और रिजनल रिर्सोस मैनेजर प्रमोद महिन्द्रा ने शिष्टचार मुलाकात की।

बाइक चुराने वाले दो बदमाश दबोचे

जयपुर । मानसरोवर पुलिस ने बाइक चुराने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने चार अन्य वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।

डीसीपी (साउथ) दिगंत आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुकेश उर्फ हरकेश मीणा और राजूलाल मीणा कटेवा नगर श्यामनगर का रहने वाला है। एसीपी संजय शर्मा ने बताया कि मुकेश प्रजापत ने रिपोर्ट दी।

जिसमें बताया था कि 29 मार्च को नारायण विहार शराब के ठेके के पास से उसकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग चैक कर दो लडकों को चिन्हित कर लिया। 4 अप्रेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो जने आतिश मार्केट में किसी काम से आए हुए है।

इस पर पुलिस ने तलाश कर आरोपी राजूलाल और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। थानाप्रभारी राजेन्द्र कुमार गोदारा ने बताया कि आरोपी दिन और रात के समय लावारिस खड़ी बाइक को टारगेट कर मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर बाइक को चोरी कर ले जाते और औने पौने दामों में बेच देते थे।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

जयपुर । सोडाला इलाके में एक युवती से देहशोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया इलाके निवासी युवती ने रिपोर्ट दी है कि पटना हाल गुरुग्राम निवासी अर्नेश गौरव से जान पहचान हुई थी।

आरोप है 6 जनवरी 2023 को अर्नेश ने शादी का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। अब वह ब्लैकमेल कर रहा है। सांगानेर सदर थाने में युवती ने रिपोर्ट दी है कि 24 मार्च की रात परिचित दीपक ने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया।

वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक देवी सिंह नरूका का निधन

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक 87 वर्षीय देवीसिंह नरुका का गुरुवार की दोपहर हृदयघात से आकस्मिक निधन हो गया। ग़ौरतलब है कि देवी सिंह नरूका जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार से डिप्टी डायरेक्टर कि पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनसंपर्क विभाग से पहले जयपुर राजघराने में सवाई मान सिंह व राजमाता गायत्री देवी के सानिध्य में भी इन्होंने रामबाग में अपनी सेवाएँ दीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवी सिंह नरूका ने सेवानिवृत्ति के बाद जयपुर दूरदर्शन के लिए भी समाचार संपादक के रूप में भी कार्य किया। अपने कुशल संपादन व साहित्यिक गतिविधियों के लिए

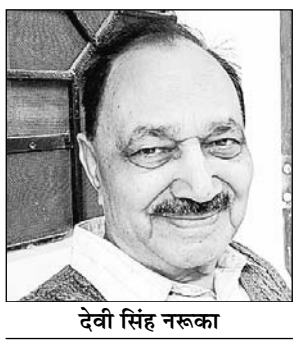

देवी सिंह नरूका

राजस्थान में ख्यात रहे देवी सिंह नरुका के निधन से पत्रकारिता व साहित्य जगत में शोक की लहर है।

जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने वाले मोहंती को सरेंडर के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश के अलवर में जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बित्रिहोत्रा मोहंती उर्फ बिट्टी मोहंती को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी माना है। इसके साथ ही अदालत ने मोहंती को दो माह में जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश मोहंती की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए।

गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 मार्च, 2006 को जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी के पुत्र बित्रिहोत्रा उर्फ बिट्टी मोहंती को दोषी माना था। इसके साथ ही अदालत ने 12 अप्रैल, 2006 को मोहंती को सात साल की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। दूसरी ओर निचली अदालत से मिली सजा काटने के दौरान 20 नवंबर, 2006 को मोहंती को मां की बीमारी के आधार पर पन्द्रह दिन की पैरोल मिली थी। जिसके चलते चार दिसंबर, 2006 को उसे वापस जेल में जाना था, लेकिन वह फरार हो गया। वहीं पुन: गिरफ्तार होने के बाद निचली अदालत ने 16 अक्टूबर, 2014 को फरार होने के मामले में तीन माह की सजा सुनाई थी।

आई.एम.ए. ने एक साल पहले हुए एम.ओ.यू. पर कार्रवाई नहीं करने पर सरकार को चेताया

जयपुर । राज्य सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच एक वर्ष पूर्व हुए एमओयू के तहत चिकित्सकों के हित में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने को लेकर आईएमए राजस्थान की ओर से सरकार को चेताया गया है।

आईएमए राजस्थान की ओर से जेएमए में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ राहुल कट्टा, कोषाध्यक्ष डॉ. एन के अग्रवाल, जेएमए अध्यक्ष डॉ. तरुण ओझा, सचिव डॉ. अनुराग शर्मा उपस्थित थे। डॉ . रजनीश शर्मा ने सरकार को चेताया और आव्हान किया कि लंबित मामलों पर तुरंत सकारात्मक कार्यवाही के आदेश हों। डॉ. तरुण ओझा और डॉ अनुराग शर्मा ने बताया की अस्पतालों का नियमितीकरण कोटा

आई.एम.ए. राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. राहुल कट्टा, कोषाध्यक्ष डॉ. एन.के.अग्रवाल, जे.एम.ए. अध्यक्ष डॉ. तरुण ओझा व सचिव डॉ. अनुराग शर्मा गुरूवार को पत्रकारों से रूबरू हुए।

मॉडल के आधार पर होना चाहिये और सिंगल विंडो लाइसेंस प्रणाली होनी चाहिए। डॉ एन के अग्रवाल ने सीजीएचएस आरजीएचएस पैकेज रेट्स को व्यवहारिक बनाने पर ज़ोर दिया। डॉ. राहुल कट्टा ने बताया की फ़ायर एनओसी का प्रावधान हर वर्ष के बजाये 5 वर्ष में करने के लिये पिछली सरकार ने आदेश जारी किया परंतु क्रियाँवन लंबित है।

गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 करोड़ में दिलाई : अरूण चतुर्वेदी

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि, "पहले भी चौहान बंधुओं को अवैधानिक रूप से खाने आवंटित कर चुके गहलोत"

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने प्रेस को संबोधित किया।

- **'पेपर लीक के खिलाफ एक्शन में भाजपा की भजनलाल सरकार, इतिहास में पहली ऐसी कार्रवाई, ट्रेनिंग के दौरान 29 सब-इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार'**
- **एक ओर नारी शक्ति का अपमान करने वाली कांग्रेस, दूसरी ओर 33 प्रतिशत आरक्षण वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली भाजपा : राखी राठौड़**

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के 2008-13 के कालखंड में विभिन्न घोटाले हुए थे। भाजपा लगातार उस कालखंड में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही थी। जिस प्रकार वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने चौहान बंधुओं को लाईम स्टोन की खाने अवैधानिक ढंग से आवंटित कर एक हजार करोड़ का घोटाला किया था। उसी तरह इस बार भी उन्होने अपने रिश्तेदारों को बिना नीलामी के कीमती जमीन सस्ती दरों पर दिलाकर उपकृत किया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने गहलोत के दबाव में 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 लाख में उनके रिश्तेदारों को दे दी। इस नियम विरूद्ध बेचान के खिलाफ नगरीय विकास विभाग में जांच विचाराधीन है।

चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय रीट से लेकर एसआई भर्ती परीक्षा सहित कुल 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया। गहलोत सरकार में पेपर लीक की इतनी घटनाएं होने के बावजूद पेपर माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार बनने के बाद लगातार पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, अभी तक 64 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है जब ट्रेनिंग करने वाले 29 सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भाजपा सरकार आने के बाद 11 भर्ती परीक्षाएं हुई जो कि पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हुई। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नारी शक्ति के प्रति किस प्रकार की मानसिकता है, वह लगातार उनके बयानों से नजर आती है। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया और अब रणदीप सुरजेवाला ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी कंगना राणौत के खिलाफ बेहद घटिया बयान दिया था। जो प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर तो नहीं लगता कि वो महिलाओं के हितों के लिए लड़ेंगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं जो लगातार महिलाओं के उत्थान को लेकर प्रयासरत हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, शौचालय, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना और "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं" जैसी मुहिम चलाई। आज देश में सेक्स रेसो की बात करें तो 1000 पुरूषों पर 1030 महिलाएं हैं जो कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ही परिणाम है।

कोर्ट स्टे के बावजूद 56 बीघा भूमि की काश्तकारों के नाम 90-ए करने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । सांगानेर स्थित वाटिका में कोर्ट स्टे के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा 56 बीघा जमीन पर काश्तकारों के नाम 90-ए करने की शिकायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच गई है। दरअसल इस भूमि पर सिंधु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति ने "राधा गोविन्द फार्मस्" योजना काटी थी। इस विवादित भूमि का मामला अदालत में चल रहा है, इसके बावजूद जेडीए के अधिकारियों ने गत वर्ष काश्तकारों के नाम 90-ए कर दी। गत 2 अप्रैल 2024 को इस जमीन का नक्शा पास करने की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मामला अटक गया।

'राधा गोविंद फॉर्मस्' योजना के आवंटियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी जमीन बिल्डर और भू-माफियाओं से बचाने की गुहार की है। योजना के सदस्यों का कहना है कि जयपुर के एक बड़े बिल्डर ग्रुप के दबाव में आकर जेडीए के जोन-14 के तत्कालीन उपायुक्त ने उनकी जमीन की 90-ए काश्तकारों के नाम कर दी। इस जमीन पर यह बिल्डर ग्रुप अपनी स्कीम के नक्शे पास करना चाहता है, जबकि इस जमीन आवंटी पिछले 20 साल से काबिज है। उन्होंने इसके लिए न्यायालय से स्टे भी ले रखा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि बिल्डर सांठगांठ कर आवंटी प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। वर्ष 1994 की इस योजना की 56 बीघा जमीन की कीमत अब करोड़ों में होने के बाद अब काश्तकार उनको बेदखल करने पर आमादा है। इसके लिए उन्होंने जेडीए में सांठगांठ कर 90-ए भी करा ली है।

इस संबंध में सिन्धु नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने काश्तकारों के विरूद्ध 007/2010 पुलिस थाना सांगानेर सदर में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जो कि अति गुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 18 जगपुर महानगर प्रथम में लंबित है। प्रकरण में आगामी सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित है। स बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के बाद भी जेडीए जोन 14 के तत्कालीन तहसीलदार, और जोन उपायुक्त ने 90-ए कर दी। ऐसे में संबंधित दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जेडीए जोन 14 से सांगानेर के तहसीलदार को जेडीए के पक्ष में खोले गए म्यूटेशन को निरस्त कराया जाए। इस मामले में प्रार्थियों ने भी न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, क्रम-18, सांगानेर, से स्टे ले रखा है जो आज भी प्रभावी है।

योजना के आवंटियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिल्डर के दबाव में जोन-14 से सूचना के अधिकार के तहत उन्हें पत्रावली भी नहीं दी जा रही है, जबकि राधा गोविन्द फार्मस के नाम से उनकी खुद की स्कीम है जिस पर वे सालों से काबिज है। आवेदित दस्तावेज गोपनीय न होकर सार्वजनिक है।

अगर इन दस्तावेजों को गोपनीय माना जा रहा है तो प्रार्थीगण को उनके हक की लडाई से रोकने के लिए काश्तकार, बिल्डर व जेडीए जोन 14 के अधिकारी और कर्मचारी हैरान परेशान करने के लिए है।